भाग–5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

अलीगढ़ में 400 के0वी0 डबल सर्किट अलीगढ़–प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष एवं 02 पौधों के पातन की अनुमति।

Proposal संख्या–FP/UP/ Trans /22272/2016

राज्य सरकार की सिफारिशें–वन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–पी 81/14–2–2017–800(80)/2017, दिनांक 2–8– 2017 के द्वारा प्रस्ताव पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त **भाग–ख** या **भाग–ग** या **भाग–घ** में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

( )

नाम और पदनाम

सरकारी मोहर

(अतिरिक्त प्रभारी)
प्रमुख सचिव
वन एवं वन्य जीव विभाग
उ० प्र० शासन।

दिनांक :– 02/08/17